न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प आदर्श उण्डखा

क्रमांक रीडर/2023/ 2128 दिनांक – 25.07.2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 प्रेमसिंह पुत्र टीलसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।		1 वीरमाराम 2 मंगलाराम पिसरान खीमाराम 2 राणाराम पुत्र शेराराम जाति मेगवाल निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 101/2023 दिनांक– 17/05/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 634/597 रकबा 0.3237 हैक्टेयर व मौजा लोल्टी हाईट पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 658/599 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(हस्ताक्षर)
(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2023/ 2129-2132 दिनांक– 25.07.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रेमसिंह पुत्र टीलसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी वीरमाराम पुत्र खीमाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर